19. शहरी स्थानीय शासन

भारत में 'शहरी स्थानीय शासन' का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से हैं। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है जिसे प्रदेश सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। सितंबर 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने लोकसभा में नया नगरपालिका बिल पेश किया। अंततः यह 74वें संविधान संशोधन कानून के रूप में शामिल हुआ और 1 जून, 1993 को प्रभाव में आया।

1992 का 74वां संशोधन कानून

इस कानून ने भारत के संविधान में नया भाग IX-A शामिल किया। इसे 'नगरपालिकाएं' नाम दिया गया और अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक प्रावधान शामिल किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा। इसमें नगरपालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय शामिल है।

प्रमुख विशेषताएं: अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं-

तीन प्रकार की नगरपालिकाएं: यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में निम्न तीन तरह की नगरपालिकाओं की संरचना प्रदान करता है-

- नगर पंचायत (किसी भी नाम से) परिवर्तित क्षेत्र के लिए, जैसे वह क्षेत्र जिसे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सके।
- नगरपालिका परिषद (छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए)
- बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए महानगरपालिका।

संरचना (बनावट): नगरपालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक नगरपालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में बांटा जाएगा। राज्य विधानमंडल नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है। यह नगरपालिका में निम्न सदस्यों के प्रतिनिधित्व की भी सहमति दे सकता है-

- वह व्यक्ति जिसे नगरपालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो लेकिन उसे नगरपालिका की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- नगरपालिका क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशतः प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।
- राज्यसभा और राज्य विधानपरिषद के ऐसे सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के साथ मतदाता के रूप में पंजीकृत हों।
- समिति के अध्यक्ष (वार्ड समितियों के अतिरिक्त)।

वार्ड समितियां:

तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डो को मिलाकर वार्ड समितियां बनती है।

पदों का आरक्षण :

यह एक्ट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा यह महिलाओं को कुल सीटों के एक-तिहाई (इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं) सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है।

नगरपालिकाओं का कार्यकाल: यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित करता है।

अयोग्यताएं: नगरपालिका के चुने हुए सदस्य निम्न बातों पर अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं-

- राज्य के विधान से संबंधित किसी चुनावी उद्देश्य के प्रभाव में अल्प अवधि के लिए किसी नियम के अंतर्गत।
- राज्य विधान द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत, फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

राज्य चुनाव आयोग:

चुनावी प्रक्रियाओं के देख-रेख, निर्देशन एवं नियंत्रण और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में होगा।

शक्तियां और कार्य:

राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे कि वे स्वायत्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम हों।

वित्त (राजस्व): संबंधी निम्न अधिकार है-

- नगरपालिका को वसूली, उपयुक्त कर निर्धारण, चुंगी, यात्री कर, शुल्क लेने का अधिकार है।
- राज्य संगठित कोष से नगरपालिकाओं को सहायता के रूप में अनुदान प्रदान करता है।

वित्त आयोग:

वित्त आयोग (जो पंचायतों के लिए गठित किया गया है।) भी प्रत्येक 5 वर्ष में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और गवर्नर को निम्न सिफारिशें करेगा-

- राज्य और नगरपालिकाओं में एकत्र किए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग एवं संग्रहित शुल्कों का बंटवारा राज्य सरकार द्वारा हो।
- करों, चुंगी, पथकर और शुल्कों का निर्धारण जो कि नगरपालिकाओं को सौंपे गए हैं।
- राज्य के संगठित कोष से नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले सहायकता अनुदान।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक गणना।
- राज्यपाल द्वारा आयोग को दिया जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के पक्ष में हो।

केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में नगरपालिकाओं के पूरक स्रोतों की राज्य के संगठित कोष से वृद्धि के लिए (राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर) आवश्यक गणनाओं के बारे में सलाह देगा।

मुक्त किए राज्य व क्षेत्र: यह अधिनियम राज्यों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। यह एक्ट प. बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा परिषद की शक्तियों और कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता।

जिला योजना समिति: प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिले की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी।

महानगरीय योजना समिति: प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने हेतु एक महानगरीय योजना समिति होगी। राज्य विधानमंडल इस संबंध में निम्न प्रावधान बना सकता है-

- इन समिति के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका,
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं का इन कमेटियों में प्रतिनिधित्व,

इस एक्ट के अंतर्गत महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों की जनसंख्या के अनुपात में समानुपाती होनी चाहिये।

न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक: यह अधिनियम नगरपालिकाओं के चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। यह घोषित करता है कि चुनाव क्षेत्र और इन चुनाव क्षेत्र में सीटों के विभाजन संबंधी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता।

12वीं सूची: इसमें नगरपालिकाओं के कानून क्षेत्र के साथ 18 क्रियाशील विषयवस्तु समाहित हैं।

- शहरी योजना (Urban planning) जिसमें शहर की योजना (town) सम्मिलित है।
- प्रयोग में लायी भूमि को नियमित करना और भवन निर्माण।
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना।
- सड़कें एवं पुल।
- घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उददेश्य के लिए जलापूर्ति।
- लोक सेवा, स्वास्थ्य संबंधी, सरंक्षणता और ठोस क्षय प्रबंधन।
- अग्नि सेवाएं।
- नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संबंधी प्रगति।
- समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जिनमें मानसिक रोगी व विकलांग शामिल है।
- बस्तियों का सुधार तथा उन्नति।
- शहरी गरीबी का शमन।
- शहरी सुख-साधन व अनुकूलताओं का प्रावधान; जैसे- पार्क, बगीचे व खेल मैदान।
- सांस्कृतिक, शैक्षिक व सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा।
- कब्र तथा कब्रिस्तान, दाहक्रिया व श्मशान घाट और विद्युत शवदाहगृह।
- मवेशियों के पीने के पानी के तालाब, पशु अत्याचार निवारण।
- जन्म व मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण संख्यिकी।

- जन सुविधाएं जिनमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड तथा सार्वजनिक हित सम्मिलित हैं।
- कसाई खानों व चर्म शिल्पकारी का नियमन।

शहरी शासनों के प्रकार

महानगरपालिका

महानगरपालिकाओं का निर्माण बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलोर तथा अन्य शहरों के लिए है। यह संबंधित राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा राज्यों में स्थापित हुई तथा भारत की संसद के एक्ट द्वारा केंद्रशासित क्षेत्र में, जिनमें एक साझा एक्ट सभी प्रदेश की महानगरपालिकाओं के लिए हो सकता है या सभी महानगरपालिकाओं के लिए अलग-अलग अधिनियम।

महानगरपालिकाओं के तीन अधिकार क्षेत्र जिनमें परिषद, स्थायी समिति तथा आयुक्त आते हैं। परिषद का प्रधान मेयर होता है। उपमेयर उसका सहायक होता है। वह परिषदों की सभा की अध्यक्षता करता है। स्थायी समिति परिषद के कार्य को सगुम बनाने के लिए गठित की जाती है जो कि आकार में बहुत बड़ी है। नगरपालिका आयुक्त परिषद और स्थायी समिति द्वारा लिए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है अत: वह नगरपालिका का मुख्य अधिकारी है।

नगरपालिका

नगरपालिकाएं कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की गईं। महानगरपालिकाओं की तरह, यह भी राज्य विधानमंडल के संबंधित एक्ट द्वारा गठित की गई हैं और केंद्रशासित राज्यो में भारत की संसद के द्वारा गठित की गई हैं। यह अन्य नामों, जैसे नगरपालिका परिषद, नगरपालिका समिति, नगरपालिका बोर्ड, उपनगरीय नगरपालिका, शहरी नगरपालिका तथा अन्य नाम से भी जानी जाती हैं।

महानगरपालिका की तरह, नगरपालिका के पास भी परिषद, स्थायी समिति तथा मुख्य कार्यकारी परिषद नामक अधिकार क्षेत्र आते हैं। परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्षता उसका सलाहकार होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका के प्रत्येक दिन के प्रशासन का जिम्मेदार होता है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

सूचीबद्ध क्षेत्रीय (Notified Area) समिति

सूचीबद्ध क्षेत्रीय समिति का गठन दो प्रकार के क्षेत्र के प्रशासन के लिए किया जाता है- औद्योगीकरण के कारण विकासशील कस्बा और वह कस्बा जिसने अभी तक नगरपालिका के गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हों लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह महत्वपूर्ण माना गया है।

कस्बाई क्षेत्रीय समिति

कस्बाई क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। यह एक उपनगरपालिका आधिकारिक इकाई है और इसे सीमित नागरिक सेवाएं; जैसे निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था और सरंक्षणता की जिम्मेदारी दी जाती है। यह राज्य विधानमंडल के एक अलग कानून द्वारा गठित किया जाता है।

छावनी परिषद

छावनी क्षेत्र में नागरिक जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की गई है। इसे 1924 के छावनी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत गठित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। यह केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। अत: ऊपरी दी गई स्थानीय शहरी इकाइयों के विपरीत जो कि राज्य द्वारा प्रशासित और गठित की गई हैं, छावनी परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित की जाती है।

इस समय, देश में 63 छावनी परिषदें है। एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या मनोनीत सदस्य शामिल हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए जबकि मनोनीत सदस्य (कार्यालय के सेवानिवृत सदस्य) उस स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं। छावनी कार्य नगरपालिका के समान होते हैं। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है।

नगरीयकरण

इस तरह का शहरी प्रशासन वृहत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किया जाता है। जो उद्योगों के निकट बनी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करती है। यह उपक्रम नगर के प्रशासन की देखरेख के लिए एक नगर प्रशासक नियुक्त करता है।

बंदरगाह संघ

बंदरगाह संघ की स्थापना बंदरगाह क्षेत्रों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य में मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए की गई-

- बंदरगाहों की सुरक्षा व व्यवस्था।
- नागरिक सुविधाएं प्रदान करना।

बंदरगाह संघ का गठन संसद के एक्ट द्वारा किया गया है। निर्वाचित और गैरनिर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित हैं।

विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण :

इन 7 क्षेत्रीय आधार वाली शहरी इकाइयों (या बहुउद्देशीय इकाइयां) के साथ, राज्यों ने विशेष कार्यों के नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार के अभिकरणों (Agencies) का गठन किया है जो महानगरपालिकाओं या नगरपालिकाओं या अन्य स्थानीय शासनों के समूह से संबंधित है। कुछ इस तरह की इकाईयां इस प्रकार हैं–

- नगरीय सुधार संघ (trusts)।
- शहरी सुधार शक्ति (authorities)।
- जलापूर्ति एवं निकासी बोर्ड।
- आवासीय बोर्ड।
- पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड।
- विद्युत आपूर्ति बोर्ड।
- शहरी यातायात बोर्ड।

यह कार्यकारी स्थानीय इकाईयां, कानूनी इकाइयों के रूप में राज्य विधानमंडल के विशेष प्रस्ताव द्वारा स्थापित की जाती हैं।

EduBull.com